/

अनवान

सुआमोटो रास्ता बनामराजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार करेड़ा

किस्म मुकदमा प्रार्थनापत्र धारा 131, 132 एल.आरए व नियम 58, 59, 60, 66, 86 आरएलआर

प्र0सं0 16/2021 प्रा0पत्र

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
07.12.2021	सुआमोटो प्रकरण जिस पर तहसीलदार करेड़ा ने अपने पत्रांक राजस्व/2021/एस.पी. वन./01 दिनांक 07.12.2021 द्वारा ग्राम ज्ञानगढ पटवार हल्का ज्ञानगढ तहसील करेड़ा के बिलानाम खसरा नम्बर 523 रकबा 24.1720 हैक्टे0 किस्म बंजड़ भूमि को ज्ञानगढ कोदिया मुख्य सडक से (आ0नं0 572) से मिलता है इस रास्ते से आमजन खेतो पर आते–जाते है। जिसके समर्थन में सम्बत् 2077 की नकल जमाबन्दी नकल नक्शा ट्रेस, मौका रिपोर्ट पटवार हल्का ज्ञानगढ के तहसीलदार करेड़ा द्वारा पत्रादि मय अभिशंषा के प्रस्तुत करने पर पत्रावली पेश हुई।प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जावें। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 09.12.2021 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, करेड़ा उपखंड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेड़ा	
09.12.2021	पत्रावली पेश हुई। तहसीलदार करेड़ा से प्राप्त पत्रावली मय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन किया गया जिससे सुआमोटो प्रार्थना पत्र पर तहसीदार की रिपोर्ट/अभिशंषा उचित प्रतीत होती है। अतः सुआमोटो प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। आदेश पृथक से लिखाया जाकर संलग्न मिसल रहें। तहसीलदार करेड़ा आदेशानुसार राजस्व अभिलेख मे रास्ते को संलग्न नक्शा अनुसार अमल दरामद करें। मिसल फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, करेड़ा उपखंड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेड़ा	

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.22 09:42:10 IST
Reason: SelfAttested

PP16/2021
2021/769